



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 1988/फाल्गुन 11, 1909

No. 125]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 1988/PHALGUNA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1988

अधिसूचना

का.आ. 236(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के  
अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह निर्देश देते हैं कि उनके नियंत्रण  
के अधीन तथा अपने आदेश होने तक प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे वह उप-  
राज्यपाल, मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक के रूप में जाना जाता हो) अपने-अपने क्षेत्र में,

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) के अन्तर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके कृत्यों को निभायेगा।

[सं. यू.-11030/5/87-यू.टी.एल.]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

New Delhi, the 1st March, 1988

**NOTIFICATION**

S. O. 236 (E).—In exercise of powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to his control and until further orders, the Administrator of every Union territory (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or the Administrator) shall exercise the powers and discharge functions of the State Government under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) in his respective territory.

[No. U-11030/5/87-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.